[2018] 4 एस. सी. आर 797

तेलंगाना आवास बोर्ड

वी.

आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 4632-4638 2018 का)

मई 1,2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहणः

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 फसलीः एस. 87 निपटान अधिकारी लिपिक और अन्य त्रुटियों को सुधारेंगे सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया-आवास योजना के लिए राज्य आवास बोर्ड द्वारा कुछ दर्जन सर्वेक्षण संख्या को शामिल करते हुए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण-सर्वेक्षण संख्या में पूरी भूमि। 1009 आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहित और कब्जा किया गया-प्रत्यर्थी-भूमि मालिक का मामला कि 11 एकड़ और विषम भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था -

हालांकि, राजस्व अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण संख्या 1009 का पूरा क्षेत्र वास्तव में 687.03 एकड़ था और इसके परिणामस्वरूप 20.18 एकड़ का अधिग्रहण नहीं किया गया था, जबकि रिकॉर्ड ने मूल रूप से संकेत दिया था कि सर्वेक्षण संख्या 1009 में 666.25 एकड़ शामिल हैं-आयोजित करने की चुनौतीः सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण संख्या 1009 के मापन में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं थी-सर्वेक्षण संख्या 1009 में पूरी भूमि आवास योजना के लिए अधिग्रहित की गई थी-सर्वेक्षण में भूमि का कोई अंश नहीं था।

No.1009 को छोड़ दिया गया था या अधिग्रहित नहीं किया गया था-पूरे सर्वेक्षण No.1009 के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया था-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह निष्कर्ष निकालते हुए गलती की कि सर्वेक्षण में 20.18 एकड़ भूमि है संख्या 1009 का अधिग्रहण नहीं किया गया था-प्रत्यर्थी का दावा यू/एस। 87 25 वर्षों की अवधि के बाद निराशाजनक रूप से देरी हुई जिसके लिए कोई नहीं है

स्पष्टीकरण-उत्तरदाताओं को अपने दावे को आगे बढ़ाने में सतर्क रहना चाहिए था, यह मानते हुए कि दावा वैध था-इसके अलावा, इस बीच आवास योजना के तहत तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं और घड़ी को पीछे रखने का कोई तरीका नहीं है-आवास बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था।

उत्तरदाता यू/एस। 87 और इस प्रकार, आयुक्त (अपील), उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ने का अधिकार था -

डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. संपूर्ण सर्वेक्षण संख्या 1009 का अधिग्रहण ए. पी. एच. बी. द्वारा आवास योजना के लिए किया गया था। सर्वेक्षण No.1009 में भूमि का कोई अंश नहीं छोड़ा गया था या अधिग्रहित नहीं किया गया था। पूरे सर्वेक्षण No.1009 के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया था। उच्च की डिवीजन बेंच न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए गलती की कि सर्वेक्षण No.1009 में 20.18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। यह बहुत सरल है

उत्तरदाताओं का तर्क है कि सर्वेक्षण No.1009 में 661.04 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है और पूरे सर्वेक्षण No.1009 को प्राप्त कर लिया गया था। अधिनियम की धारा 87 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए दावे में निराशाजनक रूप से देरी हुई थी, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण आने वाला नहीं है। चूंकि इस बीच एपीएचबी की आवास योजना के तहत तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं और घड़ी को पीछे रखने का कोई तरीका नहीं है। उत्तरदाताओं को अपने दावे को आगे बढ़ाने में सतर्क रहना चाहिए था, यह मानते हुए कि दावा वैध था, लेकिन चूंकि वे पर्याप्त सतर्क नहीं थे, इसलिए उन्हें अपनी निष्क्रियता के परिणाम भुगतने होंगे। आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोतों की अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1973 के तहत कार्यवाही कुछ परिणाम देने वाली थी, लेकिन चूंकि एपीएचबी ने उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही पर भरोसा नहीं किया है और वकील ने केवल पारित करते समय इसका उल्लेख किया है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा की गई घोषणा पर निर्णय लेने का कोई इरादा नहीं है। एपीएचबी अधिनियम की धारा 87 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा किए गए दावे से प्रत्यक्ष और मुख्य रूप से प्रभावित था और इसलिए, आयुक्त के समक्ष आगे बढ़ने का अधिकार था। (अपील), उच्च न्यायालय और यह न्यायालय। डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [पारस 65-70] [824-B H; 825-A]

2.1 उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने गंभीर गलती की

10 जून, 1968 को प्राप्त किए गए पुरस्कार के संदर्भ में एक जोड़ा कुछ दर्जन सर्वेक्षण संख्या को कवर करते हुए हजारों एकड़ भूमि। पूरी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और अधिग्रहण के बड़े क्षेत्र को देखते हुए, भले ही किसी विशेष सर्वेक्षण संख्या के क्षेत्र का वर्णन करने में कुछ त्रुटि हो, लेकिन समग्र अधिग्रहण और आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम की धारा 22 ए के तहत आवास योजना के लिए इसके उद्देश्य को देखते हुए यह महत्वहीन होगा। सर्वेक्षण No.1009 में पूरी भूमि एपीएचबी द्वारा अधिग्रहित की गई थी।

तेलंगाना आवास बोर्ड v. आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस।

2.2 हालांकि यह सही है कि प्रतिवादियों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत अपनी दावा याचिका में कहा था कि 11 एकड़ और उससे अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था, लेकिन किसी भी सर्वेक्षण संख्या का कोई संदर्भ नहीं था जिसमें यह 11 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। एकड़ और अजीब स्थित था। भूमि की कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी, कोई सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था और न ही भूमि के कान को किसी भी तरह से चिह्नित किया गया था और वास्तव में सटीक माप का भी उल्लेख नहीं किया गया था। उत्तरदाता अंधेरे में एक पॉटशॉट ले रहे थे ताकि किसी न किसी तरह कुछ के कब्जे को बनाए रखा जा सके

अधिग्रहित भूमि। [पैरा 42] [816-ई-जी]

2.3 यदि उत्तरदाताओं को विश्वास था कि 1968 में एपीएचबी द्वारा 11 एकड़ और उससे अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था, तो ऐसा नहीं है।

यह समझ में आता है कि उनके द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उनके पास शायद 11 एकड़ जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के लिए एपीएचबी के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प था।

उत्तरदाताओं और उनके पास निश्चित रूप से धारा 87 के तहत आवेदन दायर करने का विकल्प था। उत्तरदाताओं ने इनमें से कोई भी कदम तत्काल आधार पर या कोई अन्य कदम नहीं उठाया जो हो सकता है उनके लिए कानून में उपलब्ध था। [पैरा 43] [816-जी-एच; 817-ए-बी]

2.4 उत्तरदाताओं ने केवल 25 साल तक इंतजार किया और फिर अधिनियम की धारा 87 के तहत एक आवेदन दायर किया।

1993 में कभी। 1968 और 1993 के बीच तथ्यात्मक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि ए. पी. एच. बी. द्वारा अपनी आवास योजना के अनुसरण में निर्माण किया गया था। द.

उत्तरदाताओं ने इतने बड़े अंतराल के बाद अधिनियम की धारा 87 के तहत आवेदन दायर करने के लिए बिल्कुल कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जो प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए कोई समय सीमा नहीं है और ऐसा होने पर,

उत्तरदाता देरी के आधार पर गैर-उपयुक्त नहीं हो सकते हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एपीएचबी के साथ यह स्वीकार किया जाता है कि सर्वेक्षण No.1009 में भूमि की माप के संदर्भ में क्षेत्र की सटीक तस्वीर पर कई दशकों के बाद और निर्माण के बाद पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभिलेखों ने मूल रूप से संकेत दिया था कि सर्वेक्षण No.1009 में 666.25 एकड़ [2018] 4 एस. सी. आर. शामिल हैं।

2.5 कि क्षेत्र की माप में अस्पष्टीकृत देरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य से भी समर्थित है कि यहां तक कि राजस्व अधिकारी सर्वेक्षण No.1009 के सटीक क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। उत्तरदाताओं के अनुसार, 11.10 एकड़ का अधिग्रहण नहीं किया गया था, लेकिन राजस्व अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण No.1009 का पूरा क्षेत्र वास्तव में 687.03 एकड़ था, जिसके परिणामस्वरूप 20.18 का अधिग्रहण नहीं किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए

विसंगति, अधिसूचना के बाद किए गए सर्वेक्षण

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह रिकॉर्ड में आया है कि आई. डी. एल. के पास सर्वेक्षण No.1009 के कुछ हिस्से भी थे। इस प्रकार, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह तथ्य कि संपूर्ण सर्वेक्षण No.1009 को APHB द्वारा अधिग्रहित किया गया था और कब्जा कर लिया गया था, इसके वास्तविक माप की परवाह किए बिना और

11.10 एकड़ का कथित गैर-अधिग्रहण एक लाल हेरिंग के अलावा और कुछ नहीं है। नतीजतन, अधिनियम की धारा 87 के संदर्भ में 'लिपिकीय त्रुटि' को सुधारने का सवाल ही नहीं उठता है। [पैरा 46] [817-ई-एच] 2.6 यह स्पष्ट नहीं है कि लिपिकीय त्रुटि क्या थी। यदि लिपिकीय त्रुटि यह थी कि सर्वेक्षण No.1009 का क्षेत्र 661.04 एकड़ नहीं था

या 666.25 एकड़ लेकिन वास्तव में 687.03 एकड़ तो विवाद आत्म-पराजय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वेक्षण No.1009 के क्षेत्र को तब सभी उद्देश्यों के लिए 687.03 के रूप में पढ़ना होगा न कि 661.04 एकड़ के रूप में। इस सुधार का परिणाम यह होगा कि

अधिग्रहण 687.03 एकड़ का था न कि 661.04 एकड़ का। इसके अलावा, कथित लिपिकीय त्रुटि में सुधार इस तर्क को जन्म नहीं देता है कि 687.03 एकड़ में से केवल 661.04 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था। यदि सुधार एक तर्क को जन्म देता है या

विवाद, तब यह एक लिपिकीय त्रुटि का सुधार होना बंद हो जाता है, लेकिन वास्तव में एक मूल त्रुटि का सुधार है, जो अधिनियम की धारा 87 के दायरे में नहीं आता है। [पारस 47-48] [818-B-D]

2.7 15 अक्टूबर, 1994 का परिपत्र एक लिपिक को स्पष्ट करता है

त्रुटि। एक स्पष्टीकरण इस प्रभाव के लिए है कि एक लिपिकीय त्रुटि वह है जहां क्षेत्र की गलत गणना की जाती है, हालांकि जमीन पर माप और रिकॉर्ड सही क्षेत्र का समर्थन करते हैं। इस खंड पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा करने की कोशिश की जाती है।

तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड v में इसकी सराहना की जानी चाहिए। आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस।

यह मामला कि गणना त्रुटि का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा समझी गई कोई अंकगणितीय त्रुटि नहीं की गई थी। सर्वेक्षण No.1009 का क्षेत्र मापा गया और यह 666.25 एकड़ (मंजीरा जल निर्माण विभाग के लिए अधिग्रहित क्षेत्र सहित) पाया गया। मापन वृत्त द्वारा सर्वेक्षण

इंस्पेक्टर, जी. डी. इंस्पेक्टर द्वारा चेक और लैंड रिकॉर्ड असिस्टेंट द्वारा अनुमोदित यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है। उत्तरदाताओं द्वारा यह दावा करके इसे 'सही' करने की मांग की गई थी कि सर्वेक्षण No.1009 का क्षेत्र बहुत अधिक था। एक गणना त्रुटि, वर्तमान जैसी स्थिति में, एक त्रुटि होगी जो दस्तावेज़ या राजस्व रिकॉर्ड के चेहरे पर दिखाई देगी, जैसा भी मामला हो। यदि सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, तो त्रुटि

इसे किसी भी तरह से लिपिकीय त्रुटि के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 52] [819-ई-एच; 820-ए]

2.8 कौन सी बात स्थिति को बदतर बनाती है

उत्तरदाता चिंतित हैं कि उनके अनुसार त्रुटि 11.10 एकड़ की सीमा तक थी, लेकिन एक सर्वेक्षण किए जाने पर, त्रुटि 20.18 एकड़ की सीमा तक बताई गई थी। निश्चित रूप से इस तरह की विसंगति को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है। पर्ची या लिपिकीय गलती या गणना त्रुटि। इसे केवल एक बड़ी त्रुटि के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे 1968 में उचित समय पर ठीक किया जाना चाहिए था जब पुरस्कार पारित किया गया था या उसके तुरंत बाद। कम से कम 25 वर्षों के बाद इस तरह की त्रुटि पर ध्यान देना और उसके बारे में बहुत कुछ कहना लिपिकीय त्रुटि के सुधार के रूप में नहीं समझा जा सकता है। [पैरा 53] [819-बी-सी]

2.9 . 15 अक्टूबर के परिपत्र में व्यक्त विचार,

इसमें एक सर्वेक्षण और एक पुनः सर्वेक्षण शामिल है जैसा कि इस मामले में है। इसलिए, समकालीन व्याख्या पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है। राजस्व अधिकारियों द्वारा 15 तारीख के परिपत्र में किया गया

अक्टूबर, 1994। इस प्रकार, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण No.1009 के मापन में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं थी और किसी भी स्थिति में, सर्वेक्षण No.1009 में पूरी भूमि का अधिग्रहण एपीएचबी की आवास योजना के लिए किया गया था। [पारस 56-57] [821-C-D]

2.9 प्रत्यर्थियों द्वारा अधिनियम की धारा 87 के तहत दावा करने में देरी संतोषजनक नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि [2018] 4 एस. सी. आर.

चूंकि दावा याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए वे किसी भी समय दावा कर सकते थे, विशेष रूप से लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जहां कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं है, वहां जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह एक उचित अवधि के भीतर होना चाहिए। जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, अधिनियम की धारा 87 के तहत किया गया दावा

कम से कम 25 साल की अवधि के बाद था। इसे शायद ही एक उचित अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अत्यधिक देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है और मामले को बदतर बनाने के लिए, विवादित भूमि पर या आसपास की भूमि पर किसी भी घटना में विकसित आवास योजना के माध्यम से तीसरे पक्ष के हित बनाए गए हैं। 25 साल के और अंतराल के बाद घड़ी को पीछे रखना संभव नहीं है, भले ही ऐसा करने का कोई कारण हो, जो कारण है, वह भी नहीं हो सकता है।

इस मामले में कल्पना की गई। [पैरा 58,59,62] [821-ई-एफ; 823-ए-बी]

2.10 सर्वेक्षण No.1009 में से 11.10 एकड़ भूमि के एक हिस्से को ए. पी. एच. बी. से छीनने की मांग की गई थी, जिसने आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1956 की धारा 22 ए के तहत एक आवास योजना की घोषणा की थी और इस संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकार भी बनाए गए थे। की प्राथमिक जिम्मेदारी

आवास योजना के लाभार्थियों के हितों की रक्षा करना ए. पी. एच. बी. का काम था और निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि ए. पी. एच. बी. को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।

और भूमि अभिलेख, हैदराबाद ने जिला राजस्व अधिकारी को 15 अक्टूबर के परिपत्र के संदर्भ में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 1994 लेकिन अधिनियम की धारा 87 के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले, यह निर्देश दिया गया था कि एपीएचबी को सुना जाना चाहिए। [पैरा 63] [823-डी-एफ]

2.11 राजस्व अधिकारियों ने एक तथ्यात्मक मुद्दे को फिर से खोलने में कानून में पूरी तरह से गलत दिशा दिखाई थी, जिसे पहले नहीं तो 1968 में सुलझा लिया गया था और कम से कम 25 साल के अंतराल के बाद उस तथ्यात्मक मुद्दे को फिर से खोलने का कोई अवसर नहीं था। यह स्थिति होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालतें इससे वंचित हैं

तथ्यों के निर्धारण के मामले में हस्तक्षेप करना जब

अधिकारियों ने कानून में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उनमें निहित नहीं था। [पैरा 64] [823 जी-एच; 823 ए-बी] तेलंगाना आवास बोर्ड वी।

आज़मुन्निसा बेगु (मृत) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस।

मेसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स बनाम कामगार 1980 (पूरक)

एससीसी 627: 1981 एस. सी. आर. 166; सूरज देवी बनाम प्यारे लाल।

(1981) 1 एससीसी 500 [1981] 2 एससीआर 485; मास्टर

कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1966 एससी 1047: 1966 एस. सी. आर. 99; विपिनचंद्र वादिलाल बविशी

(मृत) एलआरएस द्वारा। वी. गुजरात राज्य (2016) 4 एससीसी 531:

[2016] 1 एससीआर 283; के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी,

एर्नाकुलम और एक अन्य ए. आई. आर 1981 एस. सी. 1922: [1982]

1 एस. सी. आर. 629; देशबंधु गुप्ता एंड कंपनी। दिल्ली स्टॉक

एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1049: [1979]

3 एस. सी. आर. 373; कलेक्टर बनाम. पी. मंगम्मा (2003) 4 एससीसी

488 [2003] 2 एस. सी. आर. 430; संयुक्त कलेक्टर रंगा रेड्डी जिला वी. डी. नरसिंह राव (2015) 3 एससीसी 695: [2015] 1

एस. सी. आर. 437; बसंती प्रसाद बनाम अध्यक्ष, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (2009) 6 एससीसी 791: [2009] 9 एससीआर

367 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

1981 एससीआर 166

संदर्भित किया गया है

पै

रा 49

[1981] 2 एससीआर 485

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

[1966] एससीआर 99

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

[2016] 1 एससीआर 283

संदर्भित किया गया है

पै

रा 51

[1982] 1 एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पै

रा 54

[1979] 3 एससीआर 373

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

[2003] 2 एससीआर 430

संदर्भित किया गया है

पै

रा 59

[2015] 1 एससीआर 437

पै

रा 59

संदर्भित किया गया है

[2009] 9 एससीआर 367

संदर्भित किया गया है

पै

रा 61

4638 2018 से।

संशोधन के रूप में 25.09.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

11.03.2010 हैदरबा डब्ल्यू. ए. एम. पी. No.2922/2009, डब्ल्यू. ए. नं. में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। 1311 और 2005 का 1781, डब्ल्यू. ए. नंबर 2 2009, डब्ल्यू. ए. एम. पी. 1311/2005 में डब्ल्यू. ए. एम. पी. 1311/2005 और डब्ल्यू. ए. एम. पी. नंबर 1 2009 क्रमशः डब्ल्यू. ए. No.1311/2005 और डब्ल्यू. ए. एम. पी. No.2476/2008 क्रमशः डब्ल्यू. ए. No.11 2005 में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. एस. नरसिम्हा, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, वी. गिरि, के. राममूर्ति, दुष्यंत दवे, कोके राघव राव, देबोल बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , टी. वी.

रत्नम, डॉ. राजाराम पुन्न, एम. सौरी देव, अपूर्व सरवरिया, निखिल रोहतगी, शशांक खुराना, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन, पीयूष द्विवेदी, श्रेयसी कुंवर, कृष्ण भूषण चौधरी (मैसर्स लॉयर्स निट एंड कंपनी के लिए), के. एल. शास्त्री, आर. वी. कामेश्वरन, शिवपति बी. पांडे, एस. के. वर्मा, अतुल कुमार, अनंगा भट्टाचार्य, मुकुंद पी. उन्नी, रोहित राव एन., के. सुब्बा राव, के. मारुति राव, के. राधा, श्रीमती अंजनी अय्यगारी। इरशाद हनीफ, आरिफ अली खान, रिज़वान अहमद दुर्रानी, मुजाहिद अहमद, डी. एस. खान, डी. रामकृष्ण रेड्डी, सुश्री विद्युतमा, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, जी. वी. आर. चौधरी, के. शिवराज चौधरी, ए. चंद्र शेखर, सुश्री आयुषी गोयल, वी. एन.

रघुपति, गौरव अग्रवाल, सुश्री तान्या श्री, एजाज मकबूल, कुंवर आदित्य सिंह, नागेश्वर राव, आई. वी. कश्यप, श्रीमती के. शारदा देवी, डी. महेश बाबू, सुश्री सुचित्रा, टी. वी. भास्कर रेड्डी, बी. राम कृष्ण राव, सुमित कुमार, राजीव सिंह, ईशान जॉर्ज, सी. आर. मिश्रा, प्रणब कुमार मलिक, सोमा मलिक, सेबत कुमार देवरिया, त्रिदीप पेस, देवाशीष चौहान, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था मदन बी. लोकुर, जे. लीव मंजूर।

1. हमारे विचार के लिए प्रश्न आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व की धारा 87 की व्याख्या से संबंधित है।

अधिनियम, 1317 फसली और 'लिपिकीय त्रुटि' अभिव्यक्ति का अर्थ। आगे सवाल यह है कि क्या एक 'लिपिकीय त्रुटि' को "किसी भी समय" या केवल एक उचित समय के भीतर ठीक किया जा सकता है।

2. हमारी राय में, उत्तरदाताओं द्वारा किया जाने वाला सुधार एक 'लिपिकीय त्रुटि' नहीं है और इसलिए आगे का सवाल वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि, अभिव्यक्ति "किसी भी समय" नहीं हो सकती है जैसा कि वर्तमान मामले में 25 वर्षों की अवधि के लिए व्याख्या की गई है।

भूमि अधिग्रहण कार्यवाही

टी.

3. 24 मई, 1963 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (भूमि अधिग्रहण) की धारा 4 के प्रावधानों के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिनियम)। पूरा अधिग्रहण कुछ हजार एकड़ का था जिसमें दर्जनों सर्वेक्षण संख्याएँ थीं। अन्य के अलावा, अधिग्रहण में सर्वेक्षण संख्या शामिल थी। 1009 , 1043 1065 जिसमें कुकटपल्ली तेलंगाना आवास बोर्ड v में 1110.07 एकड़ शामिल है।

आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले में बालानगर मंडल का गाँव।

यह पूरा अधिग्रहण आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1956 की धारा 22-ए के तहत बनाई गई आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड (एपीएचबी) की आवास योजना के उद्देश्य से किया गया था। 4. जैसा कि स्पष्ट है, यह क्षेत्र बहुत बड़ा था लेकिन यह भूमि अधिग्रहण पुरस्कार के पैराग्राफ 4 में दर्ज किया गया है किः

इस कार्यालय के सर्कल इंस्पेक्टर और हैदराबाद जिले के जी. डी. इंस्पेक्टर द्वारा जाँच की गई, और अधिग्रहण के तहत भूमि के क्षेत्रों को भूमि रिकॉर्ड सहायक द्वारा अनुमोदित किया गया। द. सर्वेक्षण और जाँच के बाद अनुमोदित क्षेत्रों को इस पुरस्कार में अपनाया जाता है।

5. जहाँ तक सर्वेक्षण संख्या 1009 का संबंध है, 661.04 एकड़ के क्षेत्र का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। अधिसूचना से यह संकेत नहीं मिलता है कि

सर्वेक्षण संख्या 1009 के केवल एक हिस्से का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि 661.04 एकड़ भूमि सर्वेक्षण No.1009 के पूरे विस्तार का केवल एक हिस्सा है। वास्तव में, जैसा कि पुरस्कार में सुझाव दिया गया है, पूरे सर्वेक्षण संख्या 1009 के साथ-साथ पूरे सर्वेक्षण संख्या। 1043 1065 (कई दर्जन अन्य सर्वेक्षण नंबरों के साथ) को उक्त अधिसूचना द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई थी।

6. भूमि अधिग्रहण पुरस्कार के पैराग्राफ 29 (बी) में आगे कहा गया है -

कहा गयाः

" विशेष उप-कलेक्टर पाटनचेरू ने जानकारी दी है

उनके Lr.No.B1/341/67 दिनांकित <ID2 के अनुसार उन्होंने कुकटपल्ली गाँव के सर्वेक्षण संख्या 1009 माप 666.25 एकड़ में से 5 एकड़ 21 गुंटा का अधिग्रहण किया है। क्षेत्र मौके पर ऊंचा है इसलिए सर्वेक्षण संख्या के क्षेत्र से 5 एकड़ 21 गुंटा को हटा दिया गया है। 1009 सर्वेक्षण से बाहर 661.64 एकड़ के शेष क्षेत्र के लिए कुकटपल्ली और पुरस्कार पारित किया जा रहा है।

संख्या 1009 "।

7. इस स्तर पर, हम उल्लेख कर सकते हैं कि सर्वेक्षण संख्या 1009 में 5,21 एकड़ क्षेत्र का अधिग्रहण पहले मंजीरा वाटर वर्क्स के लिए किया गया था उक्त अधिसूचना द्वारा विभाग और इसलिए 661.04 एकड़ का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी।

8. अधिग्रहण की कार्यवाही बिना किसी आपत्ति के उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई थी जो [2018] 4 एस. सी. आर. के स्वीकृत मालिक थे।

भूमि को। विशेष उप-कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा 10 जून को एक पुरस्कार पारित किया गया।

1968 और सर्वेक्षण संख्या 1009 को पुरस्कार में वर्णित किया गया था कि "चट्टानों से भरी सूखी भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त है और कोई खेती नहीं की जा रही है।"

थ.

9. 24 जून, 1968 को ए. पी. एच. बी. ने पूरी सर्वेक्षण संख्या सहित सभी अधिग्रहित भूमि पर कब्जा कर लिया। 1009 और 1043 से 1065 तक।

10. मुआवजे के पुरस्कार से असंतुष्ट, उत्तरदाता

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ दायर किया। दावा याचिका में कहा गया था कि सर्वेक्षण संख्या। 1009 और 1043 से 1065 में 1121.17 एकड़ शामिल हैं। हालांकि, केवल आईडी1 एकड़ के लिए मुआवजा दिया गया था (मंजीरा जल निर्माण विभाग से संबंधित 5,21 एकड़ इस गणना में शामिल नहीं था)। तदनुसार, यह कहा गया था कि "11 एकड़ और विषम, वे दावेदार की संपत्ति होने के कारण, इसे अधिग्रहित नहीं किया जाता है और वे दावेदार की संपत्ति बने रहते हैं।" यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 11 एकड़ और उससे अधिक भूमि जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही से बाहर रखने की मांग की गई थी, उसे निर्दिष्ट या पहचाना नहीं गया था क्योंकि इस गैर-अधिग्रहित क्षेत्र की सर्वेक्षण संख्या दावेदारों द्वारा नहीं बताई गई थी या निर्धारित नहीं की गई थी। यह बहुत बाद में है कि उत्तरदाता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कथित रूप से अधिग्रहित 11 एकड़ भूमि सर्वेक्षण संख्या 1009 का हिस्सा थी।

11. चाहे जो भी हो, मुआवजे में वृद्धि की गई और अंततः 1992 में इस न्यायालय द्वारा इसका निपटारा किया गया। हम मुआवजे की कार्यवाही के विवरण से आगे चिंतित नहीं हैं, लेकिन इसका उल्लेख केवल यह संकेत देने के उद्देश्य से किया है किः

(i)

सर्वेक्षण का पूरा क्षेत्र संख्या। 1009 और 1043 से 1065 तक था

अर्जित किया। अधिग्रहण में विशाल क्षेत्र शामिल थे और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भौतिक माप, सर्वेक्षण, जाँच और अनुमोदन किया गया था।

ii) पूरी भूमि का कब्जा ए. पी. एच. बी. द्वारा लिया गया था

आवास योजना।

iii) यद्यपि उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि 11 एकड़ और उससे अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था, लेकिन इस क्षेत्र की पहचान या निर्दिष्ट किसी विशेष सर्वेक्षण संख्या के हिस्से के रूप में नहीं की गई थी या यहां तक कि निर्धारित भी नहीं किया गया था।

ए. पी. की धारा 87 से संबंधित कार्यवाही। (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 एफ।

तेलंगाना आवास बोर्ड v. आज़ामुन्निसा बेगम

(मरा) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

12. 7 दिसंबर, 1993 को उत्तरदाताओं ने एक आवेदन दायर किया।

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना) की धारा 87 के प्रावधानों के तहत क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 फसली (संक्षेप में अधिनियम)। आवेदन में यह कहा गया था कि सर्वेक्षण संख्या से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार।

1009 भूमि क्षेत्र वास्तव में 672.14 एकड़ है और यह गलत तरीके से 11.10 एकड़ से कम क्षेत्र दिखाता है। आवेदन में कहा गया था कि 11.10 एकड़ का यह क्षेत्र उत्तरदाताओं के कब्जे में था। यह पहली बार है जब 1993 में सर्वेक्षण संख्या 1009 को 11.10 एकड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अधिनियम की धारा 87 इस प्रकार हैः

" निपटान अधिकारी लिपिक और अन्य त्रुटियों को सुधारेंगे

सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया और नाम में सुधार के लिए आवेदन दो साल के भीतर किया जानाः

बस्तियों का निदेशक और समझौता करने पर

कलेक्टर को अभिलेख, कलेक्टर, किसी भी समय, सुधार कर सकता है या

द्वारा स्वीकार की गई किसी भी लिपिकीय त्रुटि या त्रुटियों को ठीक करने का कारण संबंधित पक्ष।

उपरोक्त अधिकारी दो के भीतर किए गए सभी आवेदनों को सुनेगा।

समझौते की शुरुआत के वर्षों बाद, सुधार के लिए

पूर्ववर्ती धारा में और यदि त्रुटि के बारे में संतुष्ट है कि क्या ऐसी त्रुटि लापरवाही, धोखाधड़ी या मिलीभगत के माध्यम से की गई है।

इसे ठीक करेगा, इसके बावजूद कि संबंधित पक्ष

त्रुटि स्वीकार नहीं करता है लेकिन ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा

दो साल के बाद, जब तक कि उक्त व्यक्ति को उचित कारण नहीं दिखाया जाता है।

विलंब के लिए अधिकारी, और ऐसे मामलों में यदि कोई त्रुटि साबित होती है की मंजूरी प्राप्त किए बिना ठीक नहीं किया जाएगा

सरकार "।

13. आवेदन पर कार्रवाई करते हुए, जिला कलेक्टर ने अनुरोध किया कि

सर्वेक्षण के लिए सहायक निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख

संख्या 1009 और सीमाएँ तय करने के लिए। सहायक निदेशक ने नोटिस जारी किया

थ.

सर्वेक्षण करने के उद्देश्यों के लिए 7 जुलाई, 1994 को एपीएचबी को

लेकिन एपीएचबी के अनुसार नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। हमारी राय में, नोटिस की प्राप्ति न होने की शायद ही कोई प्रासंगिकता है।

थ.

14. किसी भी स्थिति में, सहायक निदेशक ने 5 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की

अगस्त, 1994 जिला कलेक्टर को। उनकी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सर्वेक्षण संख्या 1009 का क्षेत्र वास्तव में 687.03 एकड़ था। इसमें आईडी1 एकड़ (हमारे समक्ष विचार का विषय) और मंजीरा जल निर्माण विभाग के लिए पहले अधिग्रहित 5,21 एकड़ शामिल थे।

इसलिए, सहायक निदेशक के अनुसार 20.18 एकड़ की अधिकता थी जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया था। यह भी नोट किया गया कि आई. डी. एल. के पास कुछ हद तक सर्वेक्षण संख्या 1009 था। आई. डी. एल. के कब्जे में भूमि के क्षेत्र और स्थान के बारे में कोई विनिर्देश या विवरण प्रदान नहीं किया गया था।

15. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि उत्तरदाताओं का तर्क था कि 11.10 एकड़ की अधिकता थी जो नहीं थी अधिग्रहण किए जाने पर, सहायक निदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 20.18 एकड़ का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

बस्तियाँ और भूमि अभिलेख। यह परिपत्र अधिनियम की धारा 87 से संबंधित है जो एक 'लिपिकीय त्रुटि' की व्याख्या करना चाहता है जिसे ठीक किया जा सकता है। 17. 15 अक्टूबर, 1994 के परिपत्र के प्रासंगिक भाग पैराग्राफ 4 और 5 हैं और वे इस प्रकार हैं:

" स्पष्टीकरण: लिपिकीय त्रुटियों का मनोरंजन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है,

और जिला: राजस्व अधिकारी लिपिक का मनोरंजन करने में सक्षम होता है। त्रुटियाँ। समय सीमा केवल लिपिकीय त्रुटियों के अलावा अन्य त्रुटियों के लिए निर्धारित की गई है। लिपिकीय त्रुटियों के अलावा अन्य त्रुटियों के सुधार के लिए

देरी की माफी की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला: केवल राजस्व अधिकारी ही सक्षम है। लेकिन जिला: राजस्व

निपटान और भूमि अभिलेख। स्पष्टीकरण: भूमि राजस्व अधिनियम 1317 फसली की धारा 87 लिपिकीय त्रुटियों के अलावा लिपिकीय त्रुटियों और त्रुटियों की परिभाषा प्रदान नहीं करती है। लिपिकीय त्रुटियाँ छोटी त्रुटियाँ होती हैं जिनमें क्षेत्र में परिवर्तन, वर्गीकरण में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन शामिल नहीं होता है।

पटदार।

त्रुटियों के कुछ उदाहरण, जो इस श्रेणी में आते हैं

लिपिकीय त्रुटियाँ नीचे दी गई हैं:

ए। पट्टेदार का नाम गलत वर्तनी है। बी। सर्वेक्षण संख्या का अंतर-परिवर्तन।

सी। सर्वेक्षण सं। सर्वेक्षण मानचित्र में गायब।

तेलंगाना आवास बोर्ड v. आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

डी। क्षेत्र की गणना गलत तरीके से की जाती है, हालांकि जमीन पर माप

और अभिलेख सही क्षेत्र का समर्थन करते हैं।

चूँकि अधिनियम में लिपिकीय त्रुटियों के अलावा लिपिकीय त्रुटि और त्रुटियों की परिभाषा नहीं है, इसलिए इसे सहायक निदेशक सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख के निर्णय पर छोड़ना उचित नहीं है कि क्या विशेष सर्वेक्षण त्रुटि लिपिकीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि के अलावा अन्य त्रुटियों की श्रेणी में आती है। इसलिए, सहायक निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, प्रस्तावित के संबंध में निदेशक, सर्वेक्षण निपटान और भूमि अभिलेख को विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट भेजेंगे।

त्रुटि। यह विशुद्ध रूप से एक तकनीकी और गैर-वैधानिक कार्य है। इस प्रकार भेजी गई रिपोर्ट की निदेशालय में जांच की जाएगी कि क्या त्रुटि हुई है। लिपिकीय त्रुटि के अलावा लिपिकीय त्रुटि या त्रुटि की श्रेणी में आता है और इस तथ्य को सहायक निदेशक सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख को सूचित किया जाएगा। निदेशालय से मंजूरी प्राप्त करने पर, सहायक निदेशक भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 87 के तहत जिला राजस्व अधिकारी स्तर पर मामले का निपटारा करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी को फाइल भेजेगा, यदि त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है। यदि त्रुटि लिपिकीय त्रुटि के अलावा अन्य है, तो जिला राजस्व अधिकारी भूमि की धारा 87-ए के तहत आयुक्त, सर्वेक्षण, निपटान और भूमि अभिलेख द्वारा मामले के निपटारे के लिए नियमों के अनुसार देरी को विधिवत माफ करते हुए आयुक्त सर्वेक्षण निपटान और भूमि अभिलेख को प्रस्ताव भेजेगा।

राजस्व अधिनियम 1317 फसली "।

18. अधिनियम की धारा 87 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा किए गए आवेदन और सहायक निदेशक द्वारा दी गई रिपोर्ट के जवाब में

टी.

5 अगस्त, 1994, निपटान, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख निदेशक

टी.

19 अप्रैल, 1995 को जिला कलेक्टर को यह स्वीकार करते हुए पत्र लिखा कि सर्वेक्षण संख्या 1009 के किसी भी वास्तविक माप का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि यह भूमि का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि की चट्टानी प्रकृति को देखते हुए क्षेत्र की गणना में भिन्नता के बीच अंतर हो सकता है।

10 % और 30 प्रतिशत। यह तथ्य कि सभी सर्वेक्षण संख्याओं को मापा गया था, जैसा कि पुरस्कार में उल्लेख किया गया था, दृष्टि से गायब हो गया था।

19. फिर भी, निदेशक ने कहा कि सहायक निदेशक द्वारा की गई माप प्रक्रिया तकनीकी रूप से सही है और सर्वेक्षण संख्या 1009 का क्षेत्र वास्तव में 687.03 एकड़ है जबकि दर्ज किया गया क्षेत्र 666.25 एकड़ है (जिसमें मंजीरा जल निर्माण विभाग के लिए अधिग्रहित भूमि शामिल है)। इसलिए, निदेशक के अनुसार [2018] 4 एस. सी. आर.

भिन्नता 20.18 एकड़ की सीमा तक है। निदेशक ने यह भी राय व्यक्त की कि माप त्रुटि 'लिपिक' की श्रेणी में आती है।

टी.

15 अक्टूबर, 1994 के परिपत्र में उल्लिखित त्रुटि और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

20. यह स्पष्ट नहीं है कि एपीएचबी को रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला

सहायक निदेशक और निदेशक द्वारा इसकी स्वीकृति लेकिन किसी भी स्थिति में,

टी.

जून, 1996 से पहले एपीएचबी द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं

10 पर रिपोर्ट के लिए जिला कलेक्टर और राजस्व रिकॉर्ड को सही करने का निर्णय।

21. आपत्तियों की प्राप्ति पर, जिला कलेक्टर ने संदर्भित किया

सर्वेक्षण, बस्तियाँ और भूमि अभिलेख आयुक्त को मामला,

सेंट

हैदराबाद 1 अगस्त, 1996 को सुधार पर विचार करने के लिए

मापन त्रुटि।

टी.

22. 15 सितंबर, 1997 को आयुक्त ने जिले को निर्देश दिया

टी.

राजस्व अधिकारी 15 अक्टूबर, 1994 के परिपत्र के संदर्भ में कार्रवाई करेंगे क्योंकि परिपत्र के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में लिपिकीय त्रुटि थी। हालांकि, आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले एपीएचबी को सुना जाना चाहिए।

23. ऐसा प्रतीत होता है कि एपीएचबी को बाद में जिले द्वारा सुना गया था

टी.

राजस्व अधिकारी जिन्होंने तब 9 जून, 1998 को एक आदेश पारित किया कि वास्तव में सर्वेक्षण संख्या 1009 का क्षेत्र 687.03 एकड़ था और 20.18 एकड़ की अधिकता थी जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया था। यह उत्तरदाताओं के दावे के खिलाफ था कि 11.10 एकड़ का अधिग्रहण नहीं किया गया था। जिला राजस्व अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि एपीएचबी का 20.18 एकड़ के क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है और अधिनियम की धारा 87 के संदर्भ में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।

24. जिला राजस्व द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस करना

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए अधिकारी एपीएचबी ने अधिनियम की धारा 158 के तहत आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। यह खंड इस प्रकार हैः

' राजस्व अधिकारी के आदेश से अपील-(1) सिवाय इसके कि

इस अधिनियम में कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के लिए अन्यथा प्रावधान किया गया है।

लागू होने पर, पारित किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी।

इस अधिनियम या उस समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत किसी राजस्व अधिकारी द्वारा

बल में होने के कारण, अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को कि क्या ऐसा तेलंगाना आवास बोर्ड

v।

आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

निर्णय या आदेश मूल के अभ्यास में पारित किया जा सकता है

अधिकारिता या अपील पर।

(2) आंध्र प्रदेश (तेलंगाना) के प्रावधानों के अधीन

क्षेत्र) राजस्व विनियमन बोर्ड, 1358 एफ., (विनियमन एलएक्स ऑफ

1358 एफ.) किसी भी निर्णय के खिलाफ सरकार के समक्ष अपील की जाएगी।

या कलेक्टर या निपटान आयुक्त द्वारा पारित आदेश को छोड़कर

ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के मामले में

दूसरी या तीसरी अपील।

(3) और (4)

XXX

XXXXXX

थ.

25. 24 मार्च, 1999 को आयुक्त (अपील) ने एक पारित किया

स्थिति बनाए रखने के लिए एपीएचबी द्वारा दायर अपील में एकतरफा आदेश

वैसे भी।

26. ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारा पारित यथास्थिति आदेश के बावजूद

आयुक्त (अपील) के राजस्व अभिलेखों को पूरक सेठवर जारी करके सही किया गया था। चाहे जो भी हो, उत्तरदाताओं ने चुनौती दी

थ.

5 अप्रैल, 1999 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके 24 मार्च, 1999 का एकतरफा आदेश। रिट याचिका को 1999 के डब्ल्यू. पी. नंबर 7940 के रूप में गिना गया था। रिट याचिका में प्रत्यर्थियों द्वारा लिए गए आधारों में से एक यह था कि एपीबीएच द्वारा दायर अपील समय से परे थी और आयुक्त (अपील) द्वारा एकतरफा आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

थ.

27. 10 अगस्त, 2000 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने सुनवाई की

रिट याचिका ने एपीएचबी के कब्जे में भूमि को निर्धारित करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया और क्या यह 661.04 एकड़ या उससे अधिक पर कब्जा कर रहा है। में।

अंतरिम आदेश का अनुपालन करते हुए सहायक निदेशक ने एक रिपोर्ट दी

आरडी

दिनांक 23 जून, 2001 को इस आशय के लिए कि सर्वेक्षण संख्या 1009 का क्षेत्रफल 666.25 एकड़ है, जिसमें मंजीरा वाटर वर्क्स के साथ 5,21 एकड़ शामिल है।

विभाग। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सहायक निदेशक ने नहीं किया

रिपोर्ट करें कि सर्वेक्षण संख्या 1009 का क्षेत्रफल 666.25 एकड़ से अधिक था। दूसरे शब्दों में, इस संबंध में पहले लिए गए निर्णयों से एक मोड़ आया। यह इस प्रकार बताया गया थाः

" उपलब्ध भूमि के ऊपर बताई गई सीमाओं को तय करने के बाद थियोडोलाइट की मदद से सर्वेक्षण की गई ऐसी सीमाओं के भीतर

(पार सर्वेक्षण) और कुल क्षेत्र एसी के रूप में आया। 666.25 gts।

जिसका मिलान सर्वेक्षण सं. के अभिलिखित क्षेत्र से किया जाता है। 1009 के अनुसार

सर्वेक्षण अभिलेख। सर्वेक्षण कार्य 11.6.2001 पर समाप्त होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वेक्षण सं. के भीतर भौतिक विशेषताओं को दर्शाने वाली भूमि का विवरण। 1009 विस्तृत सर्वेक्षण के बाद आए लोग इस प्रकार हैं:

1. आवास बोर्ड के कब्जे में भूमि

ए. सी. जीटीएस।

निर्मित क्षेत्र द्वारा आच्छादित

288.00

2. कब्जे में खुली भूमि

आवास बोर्ड

358.04

3. कब्रिस्तान/कब्रिस्तान के लिए भूमि छोड़ी गई

आवास बोर्ड द्वारा

15.00

661.04

4. मंजीरा पाइपलाइन के तहत भूमि

(जल कार्य विभाग)

5.21

सर्वेक्षण का कुल क्षेत्र सं। 1009

666.25

सर्वेक्षण का एक रेखाचित्र नं. 1009 उपरोक्त विवरण दिखाना तैयार है

और इसके साथ प्रस्तुत किया। ”

सेंट

28. 31 अक्टूबर, 2001 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1999 के डब्ल्यू. पी. 940 का निर्णय लिया और आयुक्त (अपील) को सभी की सुनवाई करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इस बीच, यथास्थिति थी

बनाए रखने के लिए टेड। 29. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, लोकपाल (अपील) ने एपीएचबी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की। एक द्वारा

थ.

दिनांक 4 टी. एम. जनवरी, 2003 को आयुक्त (अपील) ने 9 जून, 1998 को जिला राजस्व अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा और निष्कासन को खारिज कर दिया। आयुक्त (अपील) की राय थी किः

(i) बड़े क्षेत्र से केवल 661.04 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

सर्वेक्षण में No.1009;

(ii) उत्तरदाताओं द्वारा किया गया दावा कि सर्वेक्षण No.1009 में से 11.10 एकड़ का अधिग्रहण नहीं किया गया था, देर से किया गया दावा नहीं था; (iii) तेलंगाना आवास बोर्ड v के तहत उत्तरदाताओं द्वारा अपने दावे में सुधार की मांग की गई।

आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

अधिनियम की धारा 87 एक लिपिकीय त्रुटि का सुधार था।

थ.

15 अक्टूबर के परिपत्र के पैराग्राफ 5 (डी) के तहत,

1994 .

विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही

30. द्वारा अपनी अपील खारिज किए जाने से व्यथित महसूस करना

आयुक्त (अपील), आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एपीएचबी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी और जिसे 2003 के डब्ल्यू. पी. संख्या 13927 के रूप में क्रमांकित किया गया था।

31. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका पर सुनवाई की

थ.

और 19 अप्रैल, 2005 के एक निर्णय और आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी और आयुक्त (अपील) के आदेश को रद्द कर दिया।

32. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि धारा 87

अधिनियम मामले में लागू नहीं था और इस तरह उत्तरदाताओं द्वारा किया गया दावा बनाए रखने योग्य नहीं था। इसके अलावा, यह माना गया कि उत्तरदाताओं द्वारा किया गया दावा 'लिपिक' की श्रेणी में नहीं आता है।

थ.

त्रुटि और इसलिए 15 अक्टूबर, 1994 का परिपत्र भी लागू नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सर्वेक्षण के समय तैयार किए गए अभिलेख को प्रस्तुत करने में राज्य और उत्तरदाताओं की विफलता का संदर्भ दिया, जिसमें क्षेत्र की गलत गणना दिखाई जा सकती थी। इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

" सर्वेक्षण के समय तैयार किए गए अभिलेख को दिखाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि क्षेत्र की गलत गणना है, हालांकि माप

जमीन पर और रिकॉर्ड सही क्षेत्र का समर्थन करते हैं। तो, प्रविष्टि के बारे में

S.No.1009 की सीमा को गलत तरीके से नहीं कहा जा सकता है। एक लिपिकीय गलती के कारण। किसी विशेष क्षेत्र में पहुँच कर

सर्वेक्षण संख्या केवल सर्वेक्षण करके, कई दशकों तक निपटान के बाद, और अन्य सर्वेक्षण में क्षेत्रों का सर्वेक्षण किए बिना

उस सर्वेक्षण संख्या के निकट की संख्या, मूल का प्रश्न

निपटान रजिस्टर में पादरी के रूप में प्रविष्टि गलत थी

त्रुटि या नहीं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है

दिखाएँ कि निकटवर्ती सर्वेक्षण संख्या S.No.1009 में भी भूमि

सर्वेक्षण किया गया था और इस तरह के सर्वेक्षण में किस हद तक पाया गया है, और निपटान रजिस्टर में उल्लिखित सीमा। '

33. इस तर्क के संबंध में कि केवल 661.04 एकड़ जमीन थी

सर्वेक्षण No.1009 से अधिग्रहित, विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोट किया कि आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि की अधिकतम सीमा [2018] 4 एस. सी. आर. के प्रावधानों के तहत उत्तरदाताओं द्वारा और उनकी ओर से एक घोषणा दायर की गई थी।

आई. एन. एस.) अधिनियम, 1973। उस घोषणा में सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था

उत्तरदाताओं के पास अतिरिक्त भूमि थी जो

घ उत्तरदाताओं के पास 11.10 एकड़ जमीन थी। विद्वान ई न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" मीर फजीलथ हुसैन खान और उनके उत्तराधिकारियों का तर्क है कि क्योंकि वे भूमि के वास्तविक भौतिक कब्जे में हैं

धारा संख्या 1009 में Acs.11-10gts, याचिकाकर्ता द्वारा अधिग्रहण के बाद भी,

और इसलिए वे एक दावा कर सकते हैं क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है उस समय तक ए. पी. भूमि सुधार (कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा)

अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 1) और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और सीमा)

विनियमन) अधिनियम, 1976 मीर फजीलथ हुसैन लागू हुआ।

आरडी

वह जीवित था और उसने 1973 के अधिनियम 1 के तहत एक घोषणा दायर की थी। वह. एस. संख्या द्वारा कवर किए गए कुल क्षेत्र को दिखाया। 1009 , 1043 1065 तक

Acs.1109-92 gts के रूप में उससे संबंधित। उस सीमा को हटा दिया गया था

उसके स्वामित्व से जैसा कि इसे अर्जित किया गया था और दिनांकित आदेश द्वारा

09-12-1976 , C.C.Nos में सामान्य क्रम देखें। 156 159/डब्ल्यू/75 तक वह

0.4083 मानक होल्डिंग को अधिक सम रखने के लिए माना गया था एसीएस की एक सीमा को हटाने के बाद। एस. संख्या में 1109.92 जी. टी. एस. 1009 ,

1043 कुकटपल्ली गाँव के 1065 तक। अगर मीर फजीलथ हुसैन खान

वास्तव में किसी भी हद तक स्वामित्व में था या था और

याचिकाकर्ता द्वारा या तो धारा 1009 में अधिग्रहित क्षेत्र से ऊपर या

1043 1065 तक, उसे उस क्षेत्र को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता,

क्योंकि उस क्षेत्र को उसके कब्जे में शामिल किए बिना भी वह

1973 के अधिनियम 1 के तहत घोषणा में उनके या उनके पूर्ववर्तियों द्वारा घोषित। क्या याचिका दायर करने वाले फजीलथ हुसैन खान थे? जिला राजस्व अधिकारी, या किसी भी अनौपचारिक

उत्तरदाता या उनके पूर्ववर्तियों के समक्ष, धारा संख्या 1009 में किसी भी हद तक भूमि का कब्जा 01.01.1975 द्वारा किया गया था, उन्होंने इसे 1973 के अधिनियम 1 के तहत दायर अपनी घोषणा में दिखाया होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण से अनौपचारिक उत्तरदाताओं का यह तर्क भी कि उनके पास धारा सं. में कुछ भूमि का कब्जा है।

तेलंगाना आवास बोर्ड v. आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

1009 और यह कि धारा संख्या 1009 की सीमा याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित की गई सीमा से अधिक है, उस पर विश्वास या स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

34. विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं की ओर से इस निवेदन पर भी विचार किया कि एपीएचबी को आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यह नोट किया गया कि एपीएचबी आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष था (अपील) और इसलिए यह प्रतिकूल आदेश पर सवाल उठाने का हकदार था। इसके अलावा, जब अधिकारी अधिनियम की धारा 87 के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करते हैं और एपीएचबी के हितों को प्रभावित करने वाले आदेश पारित करते हैं, तो बिना अधिकार क्षेत्र के पारित ऐसे आदेशों पर सवाल उठाने का अधिकार एपीएचबी को प्राप्त होता है।

35. चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि जिला राजस्व अधिकारी और आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश थे

अधिकारिता के बिना, स्पष्ट रूप से इस सवाल को तय करने का कोई अवसर नहीं था कि क्या उत्तरदाताओं द्वारा दायर दावे में देरी हुई थी या नहीं,

डिवीजन बेंच के समक्ष कार्यवाही

36. द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित महसूस करना

टी.

विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थियों द्वारा 19 अप्रैल, 2005 को 2005 की डब्ल्यू. ए. सं. 1311 और 2005 की डब्ल्यू. ए. सं. 1781 रिट अपील दायर की गई थी। असंतुष्ट द्वारा

टी.

25 सितंबर, 2009 के निर्णय और आदेश में डिवीजन बेंच द्वारा रिट अपीलों की अनुमति दी गई थी और इन परिस्थितियों में ही वर्तमान अपीलें हमारे समक्ष हैं। 37. उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से दो प्रस्तुतियों पर रिट अपीलों की अनुमति दी। डिवीजन बेंच द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सर्वेक्षण अधिकारियों की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि सर्वेक्षण संख्या 1009 में भूमि का क्षेत्रफल 661.04 एकड़ से अधिक था। मान लीजिए, सर्वेक्षण संख्या 1009 में से केवल 661.04 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था। इसलिए, एपीएचबी केवल 661.04 एकड़ भूमि रखने का हकदार था, जबकि शेष का अधिग्रहण नहीं किया गया था और इसलिए स्वामित्व उत्तरदाताओं के पास ही रहा। डिवीजन बेंच के अनुसार, सर्वेक्षण संख्या 1009 के माप क्षेत्र में लिपिकीय त्रुटि थी और इसलिए दिनांकित परिपत्र के पैराग्राफ 5 (डी)

टी.

15 अक्टूबर, 1994 लागू था और अधिकारी गणना त्रुटि को ठीक करने के हकदार थे। 38. डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया दूसरा आधार आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोत पर अधिकतम सीमा)

अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के संदर्भ में था। इस संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि [2018] 4 एस. सी. आर.

चूंकि उत्तरदाताओं के पास भूमि नहीं थी, इसलिए वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिकल्पित घोषणा नहीं कर सकते थे और किसी भी स्थिति में यह शायद ही कोई प्रासंगिकता थी क्योंकि सर्वेक्षण संख्या 1009 इंगित करता है कि उस सर्वेक्षण संख्या का क्षेत्र 661.04 एकड़ से अधिक था। हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सर्वेक्षण संख्या 1009 में उत्तरदाताओं के पास 11.10 एकड़ जमीन नहीं थी। पूरे सर्वेक्षण संख्या 1009 का अधिकार एपीएचबी के पास था।

चर्चा.

39. हमारी राय में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने में गंभीर गलती की है।

40. यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि एपीएचबी ने अधिग्रहण किया था, के संदर्भ में

थ.

10 जून, 1968 को कुछ दर्जन सर्वेक्षण संख्या को शामिल करते हुए कुछ हजार एकड़ भूमि का पुरस्कार दिया गया। पूरी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और अधिग्रहण के बड़े क्षेत्र को देखते हुए, भले ही किसी विशेष सर्वेक्षण संख्या के क्षेत्र का वर्णन करने में कुछ त्रुटि हो, लेकिन समग्र अधिग्रहण और आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम की धारा 22 ए के तहत आवास योजना के लिए इसके उद्देश्य को देखते हुए यह महत्वहीन होगा।

41. इसके अलावा, पुरस्कार में निकाले गए अंशों से यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण No.1009 में पूरी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

42. हालांकि यह सही है कि प्रतिवादियों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत अपनी दावा याचिका में कहा था कि 11 एकड़ और उससे अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था, लेकिन किसी भी सर्वेक्षण संख्या का कोई संदर्भ नहीं था जिसमें यह 11 एकड़ और उससे अधिक भूमि स्थित थी। वहाँ भूमि की कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी, न तो किसी सीमा का उल्लेख किया गया था और न ही भूमि के कान को किसी भी तरह से चिह्नित किया गया था और वास्तव में सटीक माप का भी उल्लेख नहीं किया गया था। हमें ऐसा लगता है कि उत्तरदाता किसी न किसी तरह अधिग्रहित भूमि पर कब्जा बनाए रखने के लिए अंधेरे में एक पॉटशॉट ले रहे थे।

43. यदि उत्तरदाताओं को विश्वास था कि 1968 में ए. पी. एच. बी. द्वारा 11 एकड़ और उससे अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था, तो यह समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं।

उनके द्वारा की गई कार्रवाई का पालन करें। उनके पास शायद एक विकल्प था

11 तेलंगाना आवास बोर्ड v के गलत कब्जे में होने के लिए एपीएचबी के खिलाफ कार्यवाही।

आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

प्रतिवादियों के स्वामित्व वाली एकड़ और विषम भूमि और उनके पास निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 87 के तहत एक आवेदन स्थानांतरित करने का विकल्प था। द. उत्तरदाताओं ने इनमें से कोई भी कदम तत्काल आधार पर या कोई अन्य कदम नहीं उठाया जो उनके लिए कानूनी रूप से उपलब्ध हो सकता था।

44. उत्तरदाताओं ने बस इतना किया कि उन्हें 25 साल और इंतजार करना पड़ा।

और फिर 1993 में किसी समय अधिनियम की धारा 87 के तहत एक आवेदन दायर करें। 1968 और 1993 के बीच तथ्यात्मक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि एपीएचबी द्वारा अपनी आवास योजना के अनुसरण में निर्माण किया गया था। उत्तरदाताओं ने इतने बड़े अंतराल के बाद अधिनियम की धारा 87 के तहत आवेदन दायर करने के लिए बिल्कुल कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जो प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि

लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए कोई समय सीमा नहीं है और ऐसा होने पर, उत्तरदाता देरी और बाधाओं के आधार पर गैर-उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।

अधिकारी सर्वेक्षण No.1009 के सटीक क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। उत्तरदाताओं के अनुसार, 11.10 एकड़ का अधिग्रहण नहीं किया गया था, लेकिन राजस्व अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण No.1009 का पूरा क्षेत्र वास्तव में 687.03 एकड़ था, जिसके परिणामस्वरूप 20.18 का अधिग्रहण नहीं किया गया था। इस विसंगति को देखते हुए, हमारी राय है कि सर्वेक्षण भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के बाद आयोजित किए जाने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमने यह भी नोट किया है कि यह रिकॉर्ड में आया है कि आई. डी. एल. के पास सर्वेक्षण संख्या 1009 के कुछ हिस्से भी थे। इसलिए, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि पूरे सर्वेक्षण (आईडी1) को एपीएचबी द्वारा अधिग्रहित किया गया था और कब्जा कर लिया गया था, इसके वास्तविक माप की परवाह किए बिना और (आईडी2) एकड़ का कथित गैर-अधिग्रहण एक लाल हेरिंग के अलावा और कुछ नहीं है। नतीजतन, अधिनियम की धारा 87 के संदर्भ में 'लिपिकीय त्रुटि' को सुधारने का सवाल ही नहीं उठता है।

8] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक लिपिकीय त्रुटि

47. किसी भी मामले में, उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि क्षेत्र के माप में एक लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की मांग की गई थी

सर्वेक्षण No.1009। यह स्पष्ट नहीं है कि लिपिकीय त्रुटि क्या थी। यदि लिपिकीय त्रुटि यह थी कि सर्वेक्षण No.1009 का क्षेत्र 661.04 एकड़ या 666.25 एकड़ नहीं था, बल्कि वास्तव में 687.03 एकड़ था, तो विवाद आत्म-पराजय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वेक्षण No.1009 के क्षेत्र को तब सभी उद्देश्यों के लिए 687.03 के रूप में पढ़ना होगा न कि 661.04 एकड़ के रूप में। इस सुधार का परिणाम यह होगा कि अधिग्रहण 687.03 एकड़ का था न कि 661.04 एकड़ का।

48. इसके अलावा, कथित लिपिकीय त्रुटि में सुधार इस तर्क को जन्म नहीं देता है कि 687.03 एकड़ में से केवल 661.04 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था। यदि सुधार किसी तर्क या विवाद को जन्म देता है, तो यह एक लिपिकीय त्रुटि का सुधार नहीं है, लेकिन वास्तव में एक मूल त्रुटि का सुधार है, जो अधिनियम की धारा 87 के दायरे में नहीं आता है।

49. जो भी हो, मेसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स बनाम. कर्मचारी 1 पाठक, जे. ने लिपिकीय त्रुटि की ओर रुख किया और पैराग्राफ में अभिनिर्धारित किया

20 रिपोर्ट इस प्रकार हैः

" नियम 31 द्वारा [औद्योगिक] न्यायाधिकरण को दिया गया अधिकार क्षेत्र

[औद्योगिक विवाद (बॉम्बे) नियम, 1957]

परिवेष्टित। यह केवल एक लिपिकीय गलती या त्रुटि है जिसे ठीक किया जा सकता है, और लिपिकीय गलती या त्रुटि पुरस्कार में एक आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न होनी चाहिए। एक आकस्मिक पर्ची या चूक का तात्पर्य है कि कुछ इरादा था और उस इरादे के विपरीत जिसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए था उसे शामिल किया गया है या जिसे शामिल किया जाना चाहिए था उसे हटा दिया गया है। यह एक गलती या त्रुटि होनी चाहिए जो केवल लिपिकीय सुधार के लिए उत्तरदायी हो। यह एक गलती या त्रुटि नहीं होनी चाहिए जो संशोधन द्वारा सुधार की मांग करती है।

शामिल मुद्दों पर सचेत निर्णय का "।

50. इसी तरह, सूरज देवी बनाम में एक लिपिकीय त्रुटि पर चर्चा की गई थी। प्यारे Lal.² रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में, संदर्भ दिया गया था

मास्टर कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य 3 और यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

1 1 1980 (पूरक) एस. सी. सी. 627

2 (1981) 1 एससीसी 500

3 एयर 1966 एससी 1047 तेलंगाना आवास बोर्ड बनाम। आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

" लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि एक त्रुटि है जो आकस्मिक पर्ची या न्यायालय की चूक के कारण होती है। यह उस बात का प्रतिनिधित्व करता है जो अदालत का कभी कहने का इरादा नहीं था। यह अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि है और इसकी खोज तर्क या विवाद पर निर्भर नहीं करती है। अंकगणितीय त्रुटि गणना की एक गलती है, और लिपिकीय त्रुटि लेखन या टाइपिंग में एक गलती है।

51. हाल ही में, एल. आर. एस. द्वारा विपिनचंद्र वादिलाल बविशी (मृत) में। वी. गुजरात राज्य ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 26 में कहा थाः

" अंकगणितीय गलती गणना में एक गलती है, जबकि लिपिकीय गलती लिखने या टाइप करने की गलती है जो इसके कारण होती है

लापरवाही गलती या चूक के कारण आकस्मिक पर्ची या चूक या त्रुटि। हमारी सुविचारित राय में, विभिन्न भूमि को प्रतिस्थापित करना

उन भूमि का स्थान जिन्हें एक वैधानिक द्वारा अधिसूचित किया गया है

धारा 10 (1), 10 (3) और 10 (5) (शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976) के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती और न ही की जाएगी।

एक शुद्धिपत्र जारी करके जब तक कि अनिवार्य आवश्यकताएँ न हों उपर्युक्त धाराओं में निहित का अनुपालन किया जाता है। लिपिक के अनुरोध पर किसी भू-स्वामी को उसकी भूमि से अलग नहीं किया जा सकता है।

या अंकगणितीय गलती जारी करके ठीक की जा सकती है शुद्धिकरण '।

52. 15 अक्टूबर, 1994 का परिपत्र लिपिकीय त्रुटि को स्पष्ट करता है।

कुछ उदाहरण दिए गए हैं और एक स्पष्टीकरण इस प्रभाव के लिए है कि एक लिपिकीय त्रुटि वह है जहां क्षेत्र की गलत गणना की जाती है, हालांकि जमीन पर माप और रिकॉर्ड सही क्षेत्र का समर्थन करते हैं। इस खंड पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा करने की कोशिश की जाती है। इस मामले में यह सराहना की जानी चाहिए कि गणना त्रुटि का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा समझी गई कोई अंकगणितीय त्रुटि नहीं की गई थी। सर्वेक्षण No.1009 का क्षेत्र मापा गया और यह 666.25 एकड़ (मंजीरा जल निर्माण विभाग के लिए अधिग्रहित क्षेत्र सहित) पाया गया। मापन मंडल निरीक्षक द्वारा किया गया सर्वेक्षण, जी. डी. निरीक्षक द्वारा की गई जाँच और भूमि अभिलेख सहायक द्वारा अनुमोदित जाँच स्पष्ट रूप से इसका संकेत देती है। उत्तरदाताओं द्वारा यह दावा करके इसे 'सही' करने की मांग की गई थी कि सर्वेक्षण संख्या 1009 का क्षेत्र बहुत अधिक था। एक गणना त्रुटि, वर्तमान जैसी स्थिति में, एक त्रुटि होगी जो दस्तावेज़ या राजस्व रिकॉर्ड के चेहरे पर दिखाई देगी, जैसा कि मामला है।

हो सकता है। यदि सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, तो त्रुटि को किसी भी तरह से लिपिकीय त्रुटि के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

53. उत्तरदाताओं के रूप में क्या स्थिति को बदतर बनाता है

चिंतित हैं कि उनके अनुसार त्रुटि 11.10 एकड़ की सीमा तक थी, लेकिन एक सर्वेक्षण किए जाने पर, त्रुटि 20.18 एकड़ की सीमा तक बताई गई थी। निश्चित रूप से, इस तरह की विसंगति को आकस्मिक पर्ची या लिपिकीय गलती या गणना त्रुटि के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इसे केवल एक बड़ी त्रुटि के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे 1968 में उचित समय पर ठीक किया जाना चाहिए था जब पुरस्कार दिया गया था। पास या उसके तुरंत बाद। कम से कम 25 वर्षों के बाद इस तरह की त्रुटि पर ध्यान देना और उसके बारे में बहुत कुछ कहना लिपिकीय त्रुटि के सुधार के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

54. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के. पी. वर्गीज को संदर्भित किया गया

वी. आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्य ने तर्क दिया कि 15 अक्टूबर, 1994 का परिपत्र एक समकालीन व्याख्या है - राजस्व अधिकारियों द्वारा स्वयं समझी गई वास्तविक स्थिति और यदि वे मानते हैं कि 'लिपिकीय त्रुटि' की व्याख्या परिपत्र में वर्णित तरीके से की जानी चाहिए, तो उस व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित परिच्छेद का उल्लेख किया गया और उस पर भरोसा किया गया

जिसपरः

" समकालीन के संदर्भ में निर्माण का नियम

एक्सपोज़िशियो समकालीन से प्राप्त एक्सपोज़िशन के संदर्भ में एक क़ानून की व्याख्या करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है।

एक निष्पादन के लिए आरोपित प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारी क़ानून) आम तौर पर इसे पलटने से पहले स्पष्ट रूप से गलत होना चाहिए; ऐसा निर्माण, जिसे आमतौर पर व्यावहारिक निर्माण के रूप में जाना जाता है, हालांकि गैर-नियंत्रण, फिर भी काफी अधिकार का हकदार है।

वजन; यह अत्यधिक प्रेरक है "।

55. इसी तरह, देशबंधु गुप्ता एंड कंपनी को भी संदर्भित किया गया था। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड "निम्नलिखित

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा मार्ग पर भरोसा किया गया था।

5 ए. आई. आर 1981 एस. सी. 1922

6 एयर 1979 एससी 1049 तेलंगाना आवास बोर्ड बनाम। आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

" समकालीन व्याख्या के सिद्धांत (समकालीन प्राधिकरण से प्राप्त व्याख्या के संदर्भ में किसी क़ानून या किसी अन्य दस्तावेज़ की व्याख्या करना) को लागू किया जा सकता है, हालांकि यह हमेशा निर्माण के प्रश्न के लिए निर्णायक नहीं होगा।

(मैक्सवेल 12 वां संस्करण पी। 268)। "

56. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक की समकालीन व्याख्या

दस्तावेज़ का बहुत महत्व होना चाहिए, लेकिन यदि वह व्याख्या इस न्यायालय सहित न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है, तो व्याख्या प्रासंगिक नहीं होगी। हमने कई निर्णयों का संदर्भ दिया है जो लिपिकीय त्रुटि के अर्थ की व्याख्या करते हैं। दृश्य टी 15 अक्टूबर, 1994 के परिपत्र में व्यक्त किया गया, विशेष रूप से खंड 5 (घ), जिसका उल्लेख उत्तरदाताओं द्वारा किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है, इस न्यायालय द्वारा लिपिकीय त्रुटि अभिव्यक्ति की समझ के चार कोनों के भीतर नहीं आता है, यदि इसमें इस मामले की तरह सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण शामिल है। इसलिए, समकालीन प्रदर्शनी पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।

15 अक्टूबर, 1994 के परिपत्र में राजस्व अधिकारियों द्वारा।

57. हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं थी

सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण No.1009 का मापन और यह कि किसी भी स्थिति में, सर्वेक्षण संख्या 1009 में पूरी भूमि एपीएचबी की आवास योजना के लिए अधिग्रहित की गई थी।

अधिनियम की धारा 87 और दावा करने में देरी

58. हम अधिनियम की धारा 87 के तहत दावा करने में प्रतिवादियों द्वारा की गई देरी से भी संतुष्ट नहीं हैं। का विवाद

उत्तरदाताओं का कहना है कि चूंकि दावा याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए वे किसी भी समय दावा कर सकते थे, विशेष रूप से लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए।

59. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जहां कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं है, वहां जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह एक उचित अवधि के भीतर होना चाहिए।

कलेक्टर वी. पी. मंगम्मा 'को पैराग्राफ 5 और 6 में इस प्रकार रखा गया थाः

" एक उचित अवधि संबंधित मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। उस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कोई अनुभवजन्य सूत्र नहीं हो सकता है। इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या अवधि उचित है या नहीं, अदालत/प्राधिकरण को इस पर विचार करना होगा।

7 (2003) 4 पृष्ठ 491 [2018] 4 एस. सी. आर. पर एस. सी. सी. 488।

उस प्रश्न का निर्णय करने के लिए आसपास की परिस्थितियों और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखें।

गुजरात राज्य में बनाम। पटेल राघव नाथ 3 यह मनाया गया कि जब सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, तो शक्ति

इसका प्रयोग एक उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए और उचित समय की सीमा मामले के तथ्यों और आदेश की प्रकृति से निर्धारित की जानी चाहिए जिसे बदलने की मांग की गई थी। ... . तर्कसंगत, एक सापेक्ष शब्द होना अनिवार्य रूप से वह है जो तर्क के निर्देश के अनुसार तर्कसंगत है और विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अत्यधिक या अपरिमित नहीं है।

60. इसी तरह, संयुक्त कलेक्टर रंगा रेड्डी जिला बनाम।

डी. नरसिंह राव के पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर विचार किया गया था जहां कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है और यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 31 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" संक्षेप में, पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के विलंबित प्रयोग को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि यदि कार्रवाई या लेनदेन हमेशा चुनौती के लिए खुले रहते हैं, तो इसका मतलब होगा कि मानव मामलों में टालने योग्य और अंतहीन अनिश्चितता, जो कि कानून की नीति नहीं है। क्योंकि, जब ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तब भी मध्यस्थता में देरी से तीसरे पक्ष के अधिकारों का निर्माण हो सकता है, जिसे विलंबित अभ्यास द्वारा कुचला नहीं जा सकता है।
एक विवेकाधीन शक्ति का विशेष रूप से जब देरी के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण दिखाई नहीं देता है। कहा जाता है कि कानून का शासन जीवन के शासन के साथ निकटता से चलना चाहिए। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां संशोधित किए जाने की मांग किए गए आदेश धोखाधड़ी वाले हैं, धोखाधड़ी की खोज के बाद उचित अवधि के भीतर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल किसी कार्य या लेन-देन को धोखाधड़ी के रूप में वर्णित करने से उसके सुधार के लिए समय अनंत तक नहीं बढ़ेगा; अन्यथा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग स्वयं उस क़ानून पर धोखाधड़ी के समान होगा जो निहित है।

एक प्राधिकरण में ऐसी शक्ति "।

61. अंत में बसंती प्रसाद बनाम। अध्यक्ष, बिहार स्कूल

प्रभावित होने की संभावना है, अदालतें हस्तक्षेप करने से इनकार करती हैं लेकिन अगर कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होने पर पीड़ित व्यक्ति को गुण-दोष के आधार पर सुना जाना चाहिए।

8 (1969) 2 एससीसी 187

9 9 (2015) 3 एससीसी 695

10 (2009) 6 एस. सी. सी. 791 तेलंगाना आवास बोर्ड v. आज़मुन्निसा बेगम (मृत्यु) थ्रू। एलआरएस। & ओआरएस। [मदन बी. लोकुर, जे.]

62. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, अधिनियम की धारा 87 के तहत किया गया दावा कम से कम 25 साल की अवधि के बाद किया गया था। इसे शायद ही एक उचित अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वहाँ कोई नहीं है अत्यधिक देरी के लिए स्पष्टीकरण और मामले को बदतर बनाने के लिए, विवादग्रस्त भूमि पर या आसपास की भूमि पर किसी भी घटना में विकसित आवास योजना के माध्यम से तीसरे पक्ष के हित बनाए गए हैं। 25 साल के और अंतराल के बाद घड़ी को पीछे रखना संभव नहीं है, भले ही ऐसा करने का कोई कारण हो, जिस कारण से हम इस मामले में कल्पना भी नहीं कर सकते।

लोकस स्टैंडी

63. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एपीएचबी के पास इस संबंध में कोई विवाद उठाने का कोई अधिकार नहीं है

सर्वेक्षण का माप No.1009। हम इस निवेदन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। सर्वेक्षण No.1009 में से 11.10 एकड़ भूमि के एक हिस्से को ए. पी. एच. बी. से छीनने की मांग की गई थी, जिसने आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1956 की धारा 22 ए के तहत एक आवास योजना की घोषणा की थी और इस संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकार भी बनाए गए थे। आवास योजना के लाभार्थियों के हितों की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एपीएचबी की थी और निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि एपीएचबी को कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में, राजस्व अधिकारियों ने भी 15 तारीख के आदेश में एपीएचबी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता दी थी

सितंबर, 1997। सर्वेक्षण, बस्ती और भूमि अभिलेख आयुक्त, हैदराबाद ने जिला राजस्व अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया

थ.

15 अक्टूबर, 1994 के परिपत्र के संदर्भ में लेकिन किसी भी पारित करने से पहले

अधिनियम की धारा 87 के तहत आदेश, यह निर्देश दिया गया था कि एपीएचबी को सुना जाना चाहिए। इसलिए हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि इस मामले में एपीएचबी का कोई अधिकार नहीं था।

तथ्यों पर हस्तक्षेप

64. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की अंतिम प्रस्तुति

यह था कि राजस्व अधिकारी अपने पक्ष में एक तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे थे और उच्च न्यायालय को तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और यहां तक कि इस न्यायालय को भी राजस्व अधिकारियों द्वारा निकाले गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। हमारी राय में, राजस्व अधिकारियों ने एक तथ्यात्मक मुद्दे को फिर से खोलने में कानून में पूरी तरह से गलत दिशा दी थी, जिसे पहले नहीं तो 1968 में और [2018] 4 एस. सी. आर. में सुलझा लिया गया था।

कम से कम 25 साल के अंतराल के बाद उस तथ्यात्मक मुद्दे को फिर से खोलने का कोई अवसर नहीं था। यह स्थिति होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालतों को तथ्यों के निर्धारण के मामले में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है जब

अधिकारियों ने कानून में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उनमें निहित नहीं था। इसलिए हम उत्तरदाताओं के इस निवेदन को भी अस्वीकार करते हैं।

निष्कर्ष

65. इसलिए, हमारा मानना है कि संपूर्ण सर्वेक्षण संख्या 1009 का अधिग्रहण ए. पी. एच. बी. द्वारा एक आवास योजना के लिए किया गया था। का कोई पार्सल नहीं

सर्वेक्षण संख्या 1009 में भूमि को छोड़ दिया गया था या अधिग्रहित नहीं किया गया था। पूरे सर्वेक्षण No.1009 के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया था। प्रभाग

उच्च न्यायालय की पीठ ने यह निष्कर्ष निकालते हुए गलती की कि सर्वेक्षण संख्या 1009 में 20.18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

66. हमारा यह भी मानना है कि उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क देना बहुत सरल है कि सर्वेक्षण संख्या 1009 में 661.04 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है और पूरे सर्वेक्षण संख्या 1009 का अधिग्रहण किया गया था। इस संबंध में निवेदन खारिज कर दिया जाता है।

67. हम यह भी मानते हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा किया गया दावा

अधिनियम की धारा 87 को निराशाजनक रूप से विलंबित किया गया था जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण आने वाला नहीं है। इसके अलावा, हमारा मानना है कि चूंकि इस बीच एपीएचबी की आवास योजना के तहत तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं और समय को पीछे रखने का कोई तरीका नहीं है। उत्तरदाताओं को अपने दावे को आगे बढ़ाने में सतर्क रहना चाहिए था, यह मानते हुए कि दावा वैध था, लेकिन चूंकि वे पर्याप्त सतर्क नहीं थे, इसलिए उन्हें अपनी निष्क्रियता के परिणाम भुगतने होंगे।

68. हमारा यह भी मानना है कि आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोतों की अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1973 के तहत कार्यवाही कुछ परिणाम देने वाली थी, लेकिन चूंकि एपीएचबी ने उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही पर भरोसा नहीं किया है और विद्वान वकील ने केवल पारित करते समय इसका उल्लेख किया है, इसलिए हम उक्त अधिनियम के तहत प्रतिवादियों द्वारा की गई घोषणा पर अपना निर्णय आधार बनाने का इरादा नहीं रखते हैं। 69. हम यह भी मानते हैं कि एपीएचबी अधिनियम की धारा 87 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा किए गए दावे से प्रत्यक्ष और मुख्य रूप से प्रभावित था और

इसलिए आयुक्त (अपील), उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ने का अधिकार था।

70. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश ए को दरकिनार कर दिया जाता है और उनके द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

तेलंगाना आवास बोर्ड को अनुमति है। कोई लागत नहीं।

निधि जैन